

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरु

पीठासीन अधिकारी : उत्तम सिंह शेखावत (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2024/34

दायर दिनांक 03.05.2024

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान)

—सायल—

बनाम

रामावतार उर्फ रामू पुत्र जीवणमल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 07 गिनाणी बास सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरु।

—गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975

उपस्थित :-

1. अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल

निर्णय

दिनांक : 14.06.2024




यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल रामावतार उर्फ रामू पुत्र जीवणमल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 07 गिनाणी बास सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरु का रहने वाला है, जो अवैध जुआ सट्टा की खार्ईवाली करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :-

क्र.स.	मुकदमा नम्बर मय दिनांक	धारा व पुलिस थाना	चालान दिनांक	नतीजा अदालत
1.	347/22.07.2014	13 RPGO कोतवाली सरदारशहर	07.08.2014	सजा 07.08.2014
2.	52/06.02.2020	13 RPGO कोतवाली सरदारशहर	02.03.2020	पैण्डिंग कोर्ट
3.	273/20.07.2020	13 RPGO कोतवाली सरदारशहर	18.11.2020	सजा 18.11.2020
4.	458/18.07.2022	13 RPGO कोतवाली सरदारशहर	21.03.2023	सजा 21.03.2023
5.	76/10.02.2023	13 RPGO कोतवाली सरदारशहर	25.07.2023	पैण्डिंग कोर्ट
6.	344/15.07.2023	13 RPGO कोतवाली सरदारशहर	22.07.2023	चालान पेश करना शेष
7.	470/07.10.2023	13 RPGO कोतवाली सरदारशहर	05.12.2023	पैण्डिंग कोर्ट

अतः इस्तगासा विरुद्ध रामावतार उर्फ रामू पुत्र जीवणमल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 07 गिनाणी बास सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरु को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल स्वयं हाजीर होकर जुर्म के संबंध में माफी दर्ज कर माफ करने हेतु प्रार्थना—पत्र दिनांक 14.06.2024 प्रस्तुत


अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु

2024/34

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु बनाम रामावतार उर्फ रामू

कर निवेदन किया है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकार करना चाहता है। प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित करने की कृपा करें।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 07 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावे ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली-भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 07 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. में दिनांक 22.07.2014, 06.02.2020, 20.07.2020, 18.07.2022, 10.02.2023, 15.07.2023 व 07.10.2023 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल रामावतार उर्फ रामू पुत्र जीवणमल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 07 गिनाणी बास सरदारशहर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरु स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल रामावतार उर्फ रामू को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सरदारशहर गैरसायल रामावतार उर्फ रामू को थानाधिकारी पुलिस थाना भानीपुरा को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना भानीपुरा की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना भानीपुरा में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सरदारशहर व थानाधिकारी पुलिस थाना भानीपुरा तथा पुलिस अधीक्षक चूरु को भेजी जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उत्तम सिंह शेखावत)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, चूरु
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु